हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
C.NO. 233/2023 दरियाव/अजीतसिंह	

पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी
01 से 09 व 10/1 से 10/6 की ओर से वकील
श्री नीतराज सा. हाजिर आए। वादी की ओर से
वकील वादी हाजिर आए प्रार्थना पत्र अंतर्गत
आदेश 22 नियम 04 CPC का पेश किया किया
वकील प्रतिवादी हाजिर No objection लिखाया
हाजिर हाथ प्रार्थना पत्र वकील वादी को
सुनाया। अतः प्रार्थना पत्र O22 R4 सिविल
प्रक्रिया संहिता संशोधित अधिनियम 2002 के
लिए जाते हैं। अपील 11 व 12 के विरुद्ध
अपीलीय कार्यवाही की जाती है। हाजिरान
वकलाऐ ने वास्ते तामील आगे की
आवश्यकता नहीं है। वास्ते वादी पत्रावली
17/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C.NO. 233/2023 दरियाव v/s अजीतसिंह
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act 2009

नोटशीट
[illegible]

वकील प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र वास्ते अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 का पेश किया
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों
को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त उत्तराधिकार
में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत
अजमेर में राजीनामा हो चुका है अतः वे वाद को
आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः श्रीमान के निवेदन
है वाद्यों नोटशीट खारिज की जावे।
हमेशा वकील वादी को सुनाया वादिया
द्वारा वह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मे हस्ताक्षर अंकित किये गये अत: वनिवार वाड की स्टेट पर नोटिस के स्वीकृत किया जाता है पत्रावली प्रकाश शुक्ल लेख नवल कर दी उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)